**आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।**

क्रमांकः 16(परिपत्र)विधि/निकाशि/11/ दिनांक

## परिपत्र

प्रायः प्रभारी अधिकारी माननीय न्यायालय से निर्णय पारित होने के उपरान्त तत्काल निर्णय/आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं करते हैं जिसके कारण आदेश/निर्णय की प्रति विलम्ब से कार्यालय में प्राप्त होती है। साथ ही उक्त आदेश/ निर्णय की प्रति में सम्बन्धित अधिवक्ता यथा उप राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिक्ता की राय एवं स्वयं की टिप्पणी सहित उपलब्ध नहीं कराते हैं जिसके कारण आदेश/निर्णय की प्रति पुनः राय एवं टिप्पणी के लिए लौटायी जाती है जिसमें अनावश्यक समय लगता है और विलम्ब भी होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभारी अधिकारी का नियुक्ति पत्र/प्रपत्र जारी किया जाता है, उसमें बिन्दु संख्या 16 में स्पष्ट उल्लेख है कि "प्रभारी अधिकारी प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ न्यायालय के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।"

अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय से आदेश/निर्णय पारित होने के उपरान्त तत्काल निर्णय/आदेश की प्रति प्राप्त करने एवं उसमें सम्बन्धित अधिवक्ता यथा उप राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं माननीय महाधिवक्ता की राय प्राप्त कर मय स्वयं की टिप्पणी के विधि प्रकोष्ठ मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त राय एवं टिप्पणी के बिना कोई निर्णय/आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जाती है और उसके कारण प्रकरण में अपील/नो–अपील का निर्णय लेने में किसी प्रकार का विलम्ब होता है या समयावधि निकल जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से होगा और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी माना जावेगा।

कृपया उक्त निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना की जावे।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

40क्रमांकः 16(परिपत्र)विधि/निकाशि/11/ 08-22 दिनांक 9/01/12

प्रतिलिपि समस्त प्रभारी अधिकारी जयपुर/जोधपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। श्री/डा० धीरेन्द्र देवार्ष को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेब साईट पर भी डालने की व्यवस्था करें

उपविधि परामर्शी